रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032020-218835
CG-DL-E-21032020-218835

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2020/फाल्गुन 30, 1941
No. 164] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2020/PHALGUNA 30, 1941

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2020

सा.का.नि. 190(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज नियम (नीलामी),में 2015 , नियम में 10, -

(क) उप-नियम (3) के खंड (घ) में 'योजना, और'शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"योजना :

परंतु यह कि, अधिनियम की धारा 8क की उप-धारा (5) और (6) के अधीन खनन पट्टों की नीलामी के मामलों में, खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 9क के अधीन जारी निहित आदेश लागू होगा;

और",

(ख) उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियमों को अन्तर्विष्ट किया जाए, अर्थात्:-

"(6क) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा पन्द्रह दिनों के भीतर खनन पट्टा निष्पादित किया जाएगा –

(i) नए पट्टाधारक, जिसे खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 9क के अधीन निहित आदेश जारी किया गया है, को जारी किए गए आशय पत्र की तारीख से; अथवा

(ii) खनिज नीलामी (संशोधन) नियम, 2020 के आरंभ से, अथवा

(iii) पूर्व पट्टाधारक की पट्टावधि समाप्त होने से;

जो भी बाद में हो।

(6ख) आशय पत्र धारक उप-नियम (6क) में उल्लिखित अवधि के भीतर खनन पट्टे को निष्पादित करने हेतु सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, जिसके न होने पर, आशय पत्र रद्द कर दिया जाएगा और बोली प्रतिभूति अथवा कार्य निष्पादन प्रतिभूति, जैसा भी मामला हो, और भुगतान की गई कोई भी अग्रिम राशि की किश्त जब्त कर ली जाएगी और अधिमानी बोलीदाता अथवा सफल बोलीदाता को राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के प्रावधानों के तहत भविष्य में संचालित खनिज ब्लॉकों की नीलामी में भाग लेने से वंचित किए जाने की तारीख से तीन वर्षों के लिए वंचित कर दिया जाएगा:

परंतु यह कि आशय पत्र धारक से आवेदन की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, पट्टा विलेख के निष्पादन की अवधि को पंद्रह दिनों से अनधिक की और अवधि के लिए नहीं बढ़ा सकती है,यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी देरी पूरी तरह आशय पत्र धारक के नियंत्रण के परेकारणों से हुई है"।

[फा. सं. 1/1/2020-एम.VI]

अनिल कुमार नायक, संयुक्त सचिव

टिप्पण: खनिज नीलामी नियम, 2015,भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 20 मई, 2015 में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2020

G.S.R. 190(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Min eral (Auction) Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015, in rule 10,-

(a) in sub-rule (3), in clause (d), for the words" plan; and", the following shall be substituted, namely:-

"plan:

Provided that, in case of auction of mining leases under sub-sections (5) and (6) of section 8A of the Act, the vesting order issued under rule 9A of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 shall be applicable; and";

(b) after sub-rule (6), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(6A) Notwithstanding anything contained in these rules, the mining lease shall be executed by the State Government within a period of fifteen days from –

(i) the date of issue of Letter of Intent to the new lessee to whom the vesting order has been issued under rule 9A of Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016; or

(ii) commencement of the Mineral Auction (Amendment) Rules, 2020; or

(iii) the expiry of the lease period of the previous lessee;

whichever is later.

(6B) The holder of the Letter of Intent shall comply with all the requirements to execute the mining lease within the period referred to in sub-rule (6A), failing which, the Letter of Intent shall be revoked and the bid security or the performance security, as the case may be, and any instalment of upfront payment paid shall be forfeited, and the preferred bidder or successful bidder may be debarred by the State Government from participating in the future auction of mineral blocks conducted under the provisions of these rules, for three years from the date of such debarment:

Provided that on receipt of an application from the holder of the Letter of Intent, the State Government, may extend the period for execution of the lease deed by a further period not exceeding fifteen days, on satisfaction that such delay is entirely for the reasons beyond the control of the holder of Letter of Intent.".

[F. No. 1/1/2020-M.VI]

ANIL KUMAR NAYAK, Jt. Secy.

Note : The Minerals Auction Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 20th May, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2020

सा.का.नि. 191(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. इन नियमों का नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गहा है) में नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतर्विष्ट होगा, अर्थात्

9क. अधिनियम की धारा 8ख के अधीन निहित आदेश जारी करने तथा अधिकार, अनुमोदन, स्वीकृतियां, अनुज्ञप्तियां इत्यादि प्राप्त करने के लिए शर्तें.-

(1) खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2020 की अधिसूचना की तारीख से एक सप्ताह के भीतर अधिनियम की धारा 8क की उप-धारा (5) व(6) के प्रावधानों के अधीन समाप्त हो रहे पट्टों के संबंध में राज्य सरकार उस राज्य के सचिव स्तर में अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नामित नोडल अधिकारी सभी वैध अधिकारों, अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनुज्ञप्तियों इत्यादि, जो पूर्व पट्टाधारक के पास निहित थे, को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होगा तथा आशय पत्र सहित नए पट्टाधारक के पक्ष में निहित आदेश जारी करेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन जारी निहित आदेश में प्रत्येक अधिकार, अनुमोदन, स्वीकृतियां अनुज्ञप्तियां इत्यादि के नियम व शर्तें वहीं होंगी जो पिछले पट्टाधारक के पास निहित थे।